अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 76 - MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8339,86,00	33843,56,00	30912,71,21	-2930,84,79
पूरक	Supplementary	25503,70,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2930,82,05
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		600,00,00	..	-600,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व खंड में, कुल बचत (₹293084.79 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹2550370.00 लाख के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹293084.79 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of ₹2550370.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2802"	Major Head "2802"				
पेट्रोलियम	Petroleum				
मू.	O.	828959.00	3078151.95	3078149.10	-2.85
पू.	S.	2550369.00			
पु.	R.	-301176.05			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
पू.	S.	1.00	8404.00	8403.97	-0.03
पु.	R.	8403.00			

(I) एक शीर्ष के तहत ₹100.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2802" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचत हुई :–

(II) Under Major Head "2802" - savings occurred under the following heads:-

(का) "तेल और गैस का शोधन और विपणन" –

(A) "Refining and Marketing of Oil and Gas" -

(क) "तेल का विपणन – प्रधानमंत्री जी–वैन योजना" – निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में देरी और योजना के तौर–तरीकों को अंतिम रूप न देने के कारण ₹27648.50 लाख (₹31436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(a) "Marketing of Oil - Pradhan Mantri JI-VAN Yojana" - saving of ₹27648.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31436.00 lakhs) was due to delay in fulfilment of prescribed milestone and non-finalization of scheme modalities.

(ख) "प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की स्थापना – इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा" – चरण–III खंड के निर्माण में देरी, असम/त्रिपुरा में भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रगति और पर्यावरण एवं वैधानिक मंजूरी मिलने में देरी के कारण ₹26977.17 लाख (₹179827.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(b) "Setting up of Natural Gas Pipe Line - Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) Part of the North East Natural Gas Pipeline Grid" - saving of ₹26977.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹179827.00 lakhs) was due to delay in construction of phase-III sections, slow progress of land acquisitions in Assam/Tripura and delay in receipt of Environment and Statutory clearances.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "तेल विपणन कंपनियों को सब्सिडी" –

(a) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(i) "एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹333869.00 लाख की बचत (₹349600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "परियोजना प्रबंधन व्यय" – ₹3200.00 लाख की बचत (₹6400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

तेल विनिर्माण कंपनियों से कम दावे प्राप्त होने और कुछ योजनाओं के तौर–तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण बचत हुई।

(iii) बिलों की कम प्राप्ति के कारण ₹650.00 लाख (₹13750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(ख) "स्वायत्त निकायों को सहायता" –

(i) "भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम की स्थापना" – कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और तेल विनिर्माण कंपनियाँ से कम दावे प्राप्त होने और कुछ योजनाओं के तौर–तरीकों को अंतिम रूप न दिया जाने के कारण ₹12075.09 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) "इंडियन स्ट्रैटेजिक रिजर्व लिमिटेड (आई एस पी आर एल) (ओ एंड एम) को भुगतान" – ₹8730.96 लाख की बचत (₹21058.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹31706.00 लाख

(i) "DBT for LPG" - saving of ₹333869.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹349600.00 lakhs); and

(ii) "Project Management Expenditure" - saving of ₹3200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from Oil Manufacturing Companies and non-finalisation of some modalities of the scheme.

(iii) "Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Crackers Complex" - saving of ₹650.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13750.00 lakhs) was due to less receipt of bills.

(b) "Assistance to Autonomous Bodies" -

(i) "Setting up of Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE), Visakhapatnam" - saving of ₹12075.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from implementing agencies and receipt of less claims from Oil Manufacturing Companies and non-finalistion of some modalities of the schemes.

(ii) "Payment to Indian Strategic Reserve Limited (ISPRL) (O&M)" - saving of ₹8730.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21058.00 lakhs);

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - DBT for LPG" - saving of

की बचत (₹33200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹16425.00 लाख की बचत (₹17200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत तेल विनिर्माण कंपनियों से कम दावे प्राप्त होने और कुछ योजनाओं के तौर–तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष में ₹266.03 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 92 प्रतिशत है।

2. उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹168873.00 लाख) उपयोग पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹2550369.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था :–

(का) मुख्य शीर्ष "2802" – "सामान्य" –

(क) "तेल विपणन कंपनियों को सब्सिडी – गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन की योजना (पीएमयूवाई)" – ₹140275.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹137541.28 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए योजना (पीएमयूवाई)" – ₹13304.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15116.04 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए योजना (पीएमयूवाई)" – ₹6891.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7812.53 लाख था।

₹31706.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33200.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - DBT for LPG" - saving of ₹16425.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17200.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims from Oil Manufacturing Companies and non-finalisation of some modalities of the scheme.

(III) Under one head saving of ₹266.03 lakhs occurred constituting 92 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹168873.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2550369.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2802" - "General" -

(a) "Subsidies to Oil Marketing Companies - Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹140275.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹137541.28 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹13304.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15116.04 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹6891.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7812.53 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "इंजीनियरिंग उद्योग – परिवहन उपकरण उद्योग – पी एन जी के लिए भारत में व्यापारिक जहाजों की फ्लेगिंग" – ₹8403.00 लाख रूपये। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8402.97 लाख रूपये था।

(B) Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Flagging of Merchant ships for PNG in India" - ₹8403.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8402.97 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत खंड में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचत हुई :–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4802" पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4802" Capital Outlay on Petroleum				
मू.	O.	60000.00	55999.00	..	-55999.00
पु.	R.	-4001.00			

(I) आई एस पी आर एल के चरण–II में कंदराओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण न किए जाने संबंधी राज्य सरकार से सांविधिक अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्ताव के कारण – "कच्चे तेल का संप्रभु रणनीतिक भंडारण – कच्चे तेल रिजर्व के संप्रभु रणनीतिक भंडारण का निर्माण – भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान" के तहत ₹60000.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹60000.00 lakhs remained wholly unutilized under "Sovereign Strategic Storage of Crude Oil - Creation of Sovereign Strategic Storage of Crude Oil Reserve - Payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPRL)" - due to non-acquisition of land for the construction of caverns in phase-II of ISPRL pending statutory approval from the State Government.